>

Title : Regarding import of prohibited and expired weedicides and pesticides in the country.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं पिछले एक साल से शून्यकाल में पत्र लिखकर प्रश्न करके सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं। देश के किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जा रही है। जो कीटनाशक दवाएं एमएनसीज बनाती हैं, दुनिया के अन्य देशों में जिन दवाइयों को बैन कर दिया गया है, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ऐसी एक्सपायर तथा बैन्ड दवाइयों को गलत तरीके से हिन्दुस्तान में लाते हैं, उनको बेचते हैं, उसका नुकसान फसल पर होता है, पर्यावरण पर होता है, मिट्टी और पानी पर हो रहा है और भारत सरकार द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में जो इनकी जांच प्रयोगशाला है, वहां इन्हें भेजकर हम इनकी सम्पूर्ण जांच कराते हैं। लेकिन आज तक एक साल में एक भी जांच का परिणाम नहीं आया और न किसी एमएनसी को पकड़ा गया और न ही उस पर कोई कार्रवाई की गई बल्कि देश के अंदर जो कीटनाशक बनाने वाली देशी कंपनियां हैं, उन देशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि मंत्रालय के कुछ वैज्ञानिक और इस कामधंधे में लगे हुए कुछ लोग किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं।

इसलिए मैं सदन में इस बात की मांग करता हूं कि उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवा की जांच कराई जाए जिनकी एक्सपायर्ड दवाइयां हैं, जिनकी नकली दवाइयां हैं और जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, उन विदेशी कंपनियों की जांच कराकर उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें जेल में बंद किया जाए और हिन्दुस्तान के किसानों को जो लूटा जा रहा है, उससे किसानों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।